रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2012/ज्येष्ठ 10, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 50
No. 96] DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2012/JYAISTHA 10, 1934 [N.C.T.D. No. 50

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 31 मई, 2012

सं. 21(07)/2012/एलएएस-IV/एलईजी/4150.—निम्नलिखित को जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

दिल्ली विवाह पंजीकरण विधेयक, 2012

[विधेयक संख्या (07) 2012]

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में
दिनांक 31 मई, 2012 को पुर:स्थापित किया गया)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रकार के विधिवत् विवाहों के पंजीकरण के लिये और इससे संबंधित कुछेक अन्य विषयों के लिये

एक

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरेसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ** – (1) इस अधिनियम का नाम दिल्ली विवाह पंजीकरण, अधिनियम, 2012 होगा।

(2) यह समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।

(3) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा यथानियत तिथि से प्रभावी होगा।

2. **परिभाषाएं:–** जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस अधिनियम में,

(क) "दिल्ली" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हैं;

(ख) "सरकार" का अर्थ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं अनुच्छेद 239क के अन्तर्गत यथापदनामित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल से है;

(ग) "विवाह" का अर्थ विधिवत् सम्पन्न हुए या किसी रूप या पद्धति से हुए किसी विवाह से हो और इसमें पुनःविवाह भी शामिल है;

(घ) "विवाह पंजिका" का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत बनायी गयी किसी विवाह पंजिका से है, जिसमें यथानिर्धारित विवरण एवं ब्यौरे हों;

(ङ) "निर्धारित" का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;

(च) "प्रमुख विवाह पंजीयक" का अर्थ इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत "जिले" के रूप में ज्ञात किसी विनिर्दिष्ट राजस्व क्षेत्र के लिये सरकार द्वारा नियुक्त प्रमुख विवाह पंजीयक से है और इसमें इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त अतिरिक्त प्रमुख विवाह पंजीयक शामिल है;

(छ) "विवाह महापंजीयक" का अर्थ इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सरकार द्वारा नियुक्त विवाह महापंजीयक से है;

(ज) "विवाह पंजीयक" का अर्थ इस अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत सरकार द्वारा नियुक्त किसी विवाह पंजीयक से है और इसमें महापंजीयक विवाह, प्रमुख विवाह पंजीयक और अतिरिक्त प्रमुख विवाह पंजीयक शामिल है।

अध्याय–II

पंजीयकों की स्थापना

3. **विवाह महापंजीयक** :–(1) दिल्ली के लिये एक विवाह महापंजीयक होगा, जो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) सरकार, ऐसे पदनामों वाले ऐसे अन्य अधिकारियों को नियुक्त भी कर सकती है, जो महापंजीयक विवाह का समय–समय पर उनके ऐसे कर्त्तव्यों/कार्यों के निष्पादन हेतु उनके पर्यवेक्षण और निदेश के अन्तर्गत निष्पादन के लिये उन्हें प्राधिकृत करना उचित मानती हो।

(3) महापंजीयक विवाह इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा आदेशों, यदि सरकार द्वारा कुछ निदेश दिये गए हों, के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये दिल्ली में मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होंगे।

4. **प्रमुख विवाह पंजीयक** :– (1) दिल्ली के प्रत्येक राजस्व क्षेत्र (इसके बाद 'जिला' के रूप में संदर्भित है) के उपायुक्त ऐसे जिलों के लिये प्रमुख विवाह पंजीयक होंगे और सरकार उनके अतिरिक्त प्रमुख विवाह पंजीयक के रूप में भी नियुक्त कर सकती है जितने वह उचित समझती है जो प्रमुख विवाह पंजीयक के सामान्य नियंत्रण और निदेश के अनुसार प्रमुख विवाह पंजीयक के ऐसे कर्त्तव्यों के निष्पादन हेतु समय–समय पर निष्पादन के लिये उन्हें प्राधिकृत करना उचित मानती है।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों और समय–समय पर महापंजीयक विवाह द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों को जिला के भीतर इनके क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी होगा।

5. **विवाह पंजीयक** :–सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी निर्धारित क्षेत्र, जिसमें स्थानीय क्षेत्र या छावनी क्षेत्र सहित, के लिये एक विवाह पंजीयक नियुक्त करेगी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे सौंपे गए ऐसे कार्यों एवं कर्त्तव्यों से सम्पन्न होगा।

अध्याय–III

विवाहों का पंजीकरण

6. **प्रत्येक विवाह पंजीकृत होगा** :– (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के उपरांत दिल्ली में विधिवत् सम्पन्न या संविदा पर हुआ प्रत्येक विवाह या दिल्ली के बाहर देश के किसी स्थान पर किसी उस व्यक्ति का विधिवत् सम्पन्न या संविदा पर सम्पन्न प्रत्येक विवाह जो सामान्यतः दिल्ली

में रहता है, विवाह की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर इस अधिनियम में उपबंधित पद्धति से पंजीकृत होगा;

शर्त है कि तत्समय प्रचलित विवाहों के पंजीकरण से संबंधित किसी अन्य कानून के अन्तर्गत पंजीकृत किसी विवाह को पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं है ।

आगे शर्त यह है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई विवाह पंजीकृत किया जायेगा यदि केवल तभी पंजीकृत होगा, यदि विवाह के पक्षकारों पर लागू कानून से यह प्रतिबंधित नहीं है।

(2) किसी विवाह के प्रत्येक पक्षकार को संबंधित विवाह पंजीयक के साथ पंजीकृत कराना अनिवार्य है।

(3) किसी विवाह के किसी पक्षकार द्वारा विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहने पर, इस अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत दंडित किया जायेगा।

7. **पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण** :– (1) किसी विवाह के एक या दोनों पक्ष या विवाह के पक्षकारों द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस संबंध में सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क के साथ ज्ञापन में किसी विवाह के पंजीकरण के लिये आवेदन कर सकते हैं।

शर्त यह है कि सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस उपधारा के अन्तर्गत पंजीकरण शुल्क के भुगतान से व्यक्तियों की किन्ही वर्गों या श्रेणियों को छूट दे सकती है।

(2) पंजीकरण के लिये ज्ञापन किसी विवाह के पक्षकारों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित निर्धारित फार्म डुप्लीकेट में क्षेत्र के विवाह पंजीयक को विवाह की तिथि से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, इसके साथ प्रत्येक पक्षकार की ओर से कम से कम एक साक्षी होगा।

(3) किसी विवाह के पंजीकरण के लिये ज्ञापन साठ दिन की निर्धारित अवधि के पश्चात् इस संबंध में सरकार द्वारा यथानिर्धारित ऐसे शुल्क के भुगतान करने पर भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(4) उपधारा 3 में कुछ भी उस व्यक्ति के इस अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा जिसने इस धारा की उपधारा 2 विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में जानबूझकर आवेदन नहीं किया है या अवहेलना की है।

8. **विवाह के पंजीकरण का स्थान** :– पंजीकरण सामान्यतः विवाह पंजीयक के कार्यालय में करवाया जायेगा :–

(क) जिसके अधिकार क्षेत्र में विवाह का कोई पक्ष सामान्यतः निवास करता है, या

(ख) जिसके अधिकार क्षेत्र में विवाह सम्पन्न हुआ हो, यदि कोई भी पक्ष सामान्यतः दिल्ली में निवास नहीं करता है।

9. **विदेश में सम्पन्न या अनुबंधित विवाह का पंजीकरण** :– विवाह का पंजीकरण जहां भारत के नागरिक या विवाह से पूर्व सामान्यतः दिल्ली में निवास करने वाले किसी भारतीय नागरिक का विवाह विदेश में सम्पन्न या अनुबंधित हुआ है ऐसा विवाह इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकेगा।

10. **इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व सम्पन्न या अनुबंधित विवाह का पंजीकरण** :– इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व सामान्यतः दिल्ली में निवास करने वाले व्यक्ति का सम्पन्न या अनुबंधित होने वाले विवाह का इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण किया जा सकेगा, यदि किसी अन्य कानून में उसका पहले पंजीकरण नहीं हुआ है।

11. **आवेदन करने पर विवाह का पंजीकरण किया जाना** :– (1) निर्धारित फार्म में ज्ञापन प्राप्त होने पर विवाह पंजीयक ज्ञापन तथा ज्ञापन के साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों, यदि कोई है, या अन्य तथ्य जो उसने देखे हैं या उसकी जानकारी में लाये गए हैं, की जाँच करेगा।

(2) यदि पक्षों या गवाहों या पक्षों की पहचान को सत्यापित करने वाले की पहचान संदेह रहित सिद्ध नहीं है तथा विवाह सम्पन्न होना संदेह रहित सिद्ध नहीं है, विवाह पक्षों तथा गवाहों की पहचान या सूचना का प्रस्तुत दस्तावेजों के सही होने के विषय में पंजीयक यथोचित ऐसी सूचना या दस्तावेज मांग सकता है जो उचित समझता है।

(3) जहाँ ज्ञापन तथा उसे प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों की जाँच करके या उपधारा (2) में यथा उपबंधित आगे जाँच करने पर संबंधित पंजीयक संतुष्ट है कि विवाह पंजीकरण करने में कोई आपत्ति नहीं है तो वह उसके पास विवाह रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा तथा इसे इलैक्ट्रोनिक रूप में भी रखेगा :

प्रावधान है कि यदि विवाह विदेश म सम्पन्न होता है, तो विवाह पंजीयक निम्न प्रकार से आश्वस्त होगा--

(क) कि विवाह उस देश के कानून के अनुसार ऐसे पक्षों के बीच हुआ है जिनमें कम से कम एक पक्ष भारत का नागरिक था; तथा

(ख) कि पंजीकरण के समय विवाह में विदेश विवाह अधिनियम, 1969 (1969 का 33) की धारा 4 की सभी शर्तों का पालन किया गया है।

(4) **विवाह पंजीयक, उपधारा (3) के अंतर्गत विवाह रजिस्टर में प्रविष्टि करने के बाद पक्षों को अपने हस्ताक्षर से तथा मुहर लगाकर यथानिर्धारित फार्म में निःशुल्क विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।**

(5) विवाह पंजीयक ज्ञापन की दूसरी प्रति प्रधान विवाह पंजीयक को भेजेगा।

12. **अन्य कानून के अंतर्गत विवाह अधिकारी द्वारा सूचना भेजा जाना:--** विवाह सम्पन्न कराने संबंधी किसी भी विधि के अन्तर्गत नियुक्त प्रत्येक विवाह अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि उसके द्वारा सम्पन्न विवाह संबंधी सूचनाएं प्रधान विवाह पंजीयक को भेजेगा।

13. **विवाह पंजीकरण से इनकार :--** निम्नलिखित मामलों को छोड़कर पंजीयक ऐसे किसी भी विवाह के पंजीकरण को इनकार नहीं करेगा जिसके लिए विधिवत भरा गया तथा हस्ताक्षरित ज्ञापन प्राप्त हुआ है, अर्थात् :--

(क) जब ज्ञापन में यथा अपेक्षित समस्त जानकारियां नहीं दी गई है या पक्षों या गवाहों की पहचान या पक्षों की पहचान को सत्यापित करने वाले व्यक्तियों की पहचान तथा विवाह सम्पन्न होना यथोचित संदेह से परे सिद्ध नहीं हो जाता।

(ख) जहां वधू ने 18 वर्ष या वर ने 21 वर्ष, जैसी भी स्थिति हो, की आयु पूरी न कर ली हो, या

(ग) जहां विवाह का कोई पक्ष पंजीयक के सामने स्पष्ट बयान देता है कि उससे विवाह के लिए जबरदस्ती की गई तथा विवाह उसकी मर्जी से सम्पन्न नहीं हुआ;

14. **अपील:**– (1) विवाह पंजीकरण न किये के लिए विवाह पंजीयक की अस्वीकृति से असंतुष्ट कोई व्यक्ति अस्वीकृति के आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन की अवधि में यथानिर्धारित पद्धति से अतिरिक्त प्रधान विवाह पंजीयक को अपील कर सकता है;

बशर्ते कि अतिरिक्त प्रधान विवाह पंजीयक उक्त तीस दिन की अवधि के समाप्त होने पर भी अपील पर विचार कर सकता है यदि वह सहमत है कि उस अवधि के भीतर प्रस्तुत न किये जाने के लिए समुचित कारण थे।

(2) अतिरिक्त प्रधान विवाह पंजीयक पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करने के पश्चात् विवाह पंजीयक को विवाह के पंजीकरण के लिखित निदेश दे सकता है या विवाह पंजीयक के अस्वीकृति आदेशों की पुष्टि के आदेश दे सकता है।

(3) कोई व्यक्ति जो, अतिरिक्त प्रधान विवाह पंजीयक के उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृति के आदेश से असंतुष्ट है वह अस्वीकृति के आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन की अवधि में यथानिर्धारित रूप में प्रधान विवाह पंजीयक को अपील कर सकता है।

(4) प्रधान विवाह पंजीयक पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करने के पश्चात् विवाह पंजीयक को विवाह के पंजीकरण के लिखित निदेश दे सकता है या विवाह पंजीयक के अस्वीकृति आदेशों की पुष्टि के आदेश दे सकता है।

(5) ऐसी अपील में प्रधान विवाह पंजीयक का निर्णय अंतिम होगा तथा विवाह पंजीयक उस पर निर्णय के अनुसार कार्यवाही करेगा।

अध्याय–IV

विवाह रजिस्टर रखना तथा उसमें त्रुटिशोधन

15. **विवाह रजिस्टर की प्रविष्टि में त्रुटिशोधन या निरस्तीकरण:–** यदि विवाह पंजीयक संतुष्ट है कि इस अधिनियम के अंतर्गत रखे गए किसी रजिस्टर में विवाह की कोई प्रविष्टि किसी तरीके या वस्तुगत रूप में गलत है या प्रविष्टि धोखाधड़ी से अनुचित रूप से की गई है तो वह उन शर्तों के अनुसार तथा परिस्थितियों के अनुसार प्रविष्टि को ठीक कर सकता है या निरस्त कर सकता है या मूल प्रविष्टि में कोई परिवर्तन किए बिना मार्जिन में समुचित प्रविष्टि कर सकता है तथा मार्जिन प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा त्रुटि ठीक या निरस्त करने की तिथि डालेगा।

16. **जनसाधारण के निरीक्षण हेतु रजिस्टर उपलब्ध होना :–** इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विवाह रजिस्टर को सभी उचित समय पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखा जायेगा तथा उसका प्रत्येक प्रमाणित उद्धरण आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करके आवेदन करने पर पंजीयक द्वारा दिया जायेगा।

अध्याय–V

दंड

17. **अपराध के दंड के लिए प्रावधान :–** विवाह का कोई भी पक्षकार जो–

(क) जानबूझकर या लापरवाही से विवाह के पंजीकरण के लिए निर्धारित ज्ञापन में आवेदन नहीं करता है, जैसाकि इस अधिनियम की धारा 6 एवं 7 के अंतर्गत अपेक्षित है और दोष सिद्ध होने की स्थिति में जुर्माना लगाया जा सकता है, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है।

(ख) ज्ञापन में ऐसे वक्तव्य को लिखना जो झूठा है और वह यह जानता है कि यह गलत है या गलत होने का कारण उपलब्ध है ऐसी स्थिति में दोष सिद्ध होने पर जुर्माने के साथ या तीन माह तक की कैद की सजा हो सकती है जिसे पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों हो सकते हैं।

18. **विवाह रजिस्टर को अपवित्र, नष्ट या हेर–फेर करने पर दंड** :–कोई भी व्यक्ति जो धोखे से या बेईमानी से विवाह रजिस्टर या रिकार्ड या उसके किसी भी हिस्से को अपवित्र, नष्ट या हेर–फेर करने का दोषी पाया जाता है तो उसे एक साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

अध्याय–VI

विविध

19. **पंजीकरण के लिए आवेदन की विफलता से विवाह की कानूनी वैधता प्रभावित नहीं होगी**:– कानून के अंतर्गत वैधता प्राप्त विवाह के लिए, पंजीकरण की विफलता के कारण विवाह की कानूनी वैधता कम नहीं होगी।

20. **लोक सेवक के रूप में विवाह के पंजीयक** :–विवाह के सभी पंजीयकों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक माना जाएगा।

21. **अधिनियम के अधिभाव का प्रभाव** :– अधिनियम का प्रावधान समय के अनुसार लागू अन्य किसी कानून में समाहित प्रभाव के साथ प्रभावित होगा, परंतु उपरोक्तानुसार सुरक्षित रहेगा, इस अधिनियम के प्रावधान अन्य किसी कानून के अनादर के रूप में समयानुसार विवाह के लिए लागू नहीं होंगे।

22. **सद्भाव में की गई कार्रवाई का बचाव** :– किसी भी चीज के लिए किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई दावा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है जो कि सद्भावना के रूप में की गई हो या जो इस अधिनियम तथा उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में की गई हो।

23. **इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की जांच के लिए न्यायालय सक्षम है** :– इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध की जांच केवल न्यायालय का मेट्रोपोलिटेन मजिस्ट्रेट ही कर सकता है।

24. **प्रत्यायोजित शक्तियां** :–सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उसके द्वारा प्रयोग की जानी वाली शक्ति, उसमें यथोलिखित ऐसे अधिकारी द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो उल्लिखित की जा सकती है, भी प्रयोग की जा सकेगी।

25. **नियम बनाने की शक्ति** :–(1) सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन एवं अधिसूचना के बाद सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए नियम बनाएगी।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति के प्रतिकूल तथा विशेष तथा व्यापक जैसे नियम सभी या नामतः निम्नलिखित मुद्दों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे:–

(क) विवाह महापंजीयक, प्रमुख विवाह पंजीयक, विवाह पंजीयक तथा उनकी सहायता के लिए नियुक्त अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की ड्यूटी तथा शक्तियों एवं नियुक्ति की निबंधन व शर्तें;

(ख) सरकार द्वारा विवाह महापंजीयक को दिए जाने वाले निदेशों का इस अधिनियम के प्रावधानों का निष्पादन;

(ग) ज्ञापन का फार्म, जिसमें विवाह के पंजीकरण का आवेदन तथा अपेक्षित सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे;

(घ) विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन के संबंध में देय शुल्क की दर साठ दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर जमा करनी होगी।

(ङ) विवाह पंजीयक के कार्यालय के बाहर विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ अतिरिक्त शुल्क की दर;

(च) विवाह के पंजीकरण के प्रमाण पत्र के जारी होने का तरीका;

(छ) विवाह पंजीयक के अस्वीकृति आदेश के विरूद्ध अपील का तरीका;

(ज) इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर या रिकार्ड को रखने का तरीका;

(झ) पांजिका तथा रिकार्ड की अभिरक्षा तथा ऐसे पंजिकाओं तथा रिकार्ड का परिरक्षण तथा शर्तें एवं परिस्थितियां जिस दौरान विवाह पंजीयक में अशुद्ध प्रविष्टियों को सही या रद्द किया जा सकता है;

(ट) कोई अन्य मुद्दा जो अपेक्षित हो या निर्धारित हो।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम को बनाने के बाद यथाशीघ्र रेखांकित कर सत्र के दौरान दिल्ली विधान परिषद् के समक्ष तीस दिनों की कुल अवधि के लिए जिसमें एक सत्र सम्मिलित है या दो या उससे ज्यादा सत्र में प्रस्तुत किया जाए और यदि सत्र समाप्ति के बाद आने वाले सत्र या उपरोक्त आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाए। यदि सदन नियम में संशोधन के लिए सहमत है या सहमत है कि नियम न बनाया जाए, तो नियम में केवल उतना ही संशोधन किया जाए या न किया जाए, जैसा मामला हो तथापि ऐसे संशोधन या निष्प्रभाव उस नियम के अंतर्गत किसी पूर्ववर्ती वैधता के बिना।

26. **कठिनाईयां दूर करने की शक्ति** :–(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई है तो सरकार, सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्रावधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधान से संगत नहीं है और जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीक होते हैं:–

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्षों की समाप्ति के बाद इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश न किया गया हो।

(2) इस धारा के अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र विधान परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया

उद्देश्य और कारणों का विवरण

हमारे देश में विवाह को एक संस्था के रूप में माना गया है। भारतीय संस्कृति के सभी धर्मों में दो व्यक्तियों के बीच विवाह सम्पन्न होने को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन बाद में विवाह की संस्था के दुरूपयोग होने के अनेक उदाहरण सामने आये हैं। यह देखा गया है कि अनेक बार चरित्रहीन पति विवाह को अस्वीकार कर अपनी पत्नियों को गढ़े में छोड़ देते हैं, चाहे यह बच्चों की अभिरक्षा हो या बपौती संपत्ति की मांग के लिये हो। इस समय ऐसे राज्य हैं जहां पर बाल विवाहों का प्रचलन बिना किसी रोक टोक के हैं। प्रतिवर्ष हमारे देश में लाखों विवाह सम्पन्न होते हैं। किसी परम्परागत पद्धति से अधिकतर सामाजिक विवाह निर्धारित धार्मिक रीति रिवाजों से सम्पन्न होते हैं। इनमें से अधिकतर विवाहों का कोई शासकीय अभिलेख नहीं होता है। इनमें से बिरले ही विवाह पंजीकृत होते हैं। अभी–अभी सर्वोच्च न्यायालय विवाह संबंधी अपने अधिकारों के लिये संघर्षरत महिलाओं की दुर्दशा से प्रेरित होकर निर्णय दिया है कि बाल विवाह, बहुपत्नी या बहुपति की रोकथाम के लिए सभी विवाहों को पंजीकृत किया जाना चाहिए। पति से अपने भरण पोषण एवं बच्चों की देखरेख के अधिकार का प्रयोग करने के लिये महिलाओं की सहायता करना और विधवाओं की बपौती संपत्ति का दावा करने के लिये समर्थ बनाना है। देश में चार राज्य अर्थात् महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर किसी भी राज्य में विवाह के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था करने के लिये इस समय ऐसा कोई कानून नहीं है इन चार राज्यों ने विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण के लिये कानून अधिनियमित किये गये हैं। देश के लिये एक समान केन्द्रीय कानून का प्रस्ताव पिछले 15 वर्षों से लटका हुआ है।

अतः यह उचित समय है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मे विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण संबंधी कानून लागू किया जाए।

विधेयक से पूर्वोक्त उद्देश्य की पूर्ति होती है।

(ए0के0 वालिया)
राजस्व मंत्री

प्रत्यायोजित विधान से संबंधित ज्ञापन

दिल्ली विवाह पंजीकरण विधेयक, 2012 का खंड 25 सरकार को निम्नलिखित विषयों के संबंध में पूर्व प्रकाशन सहित नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है:–

(क) महापंजीयक विवाह, प्रधान तथा अवर प्रधान पंजीयक विवाह, पंजीयक विवाह तथा अन्य अधिकारी तथा उनकी सहायता के लिये नियुक्त स्टाफ की नियुक्ति की शर्तें तथा दायित्व एवं शक्तियां;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के निष्पादन के लिए महापंजीयक विवाह को सरकार द्वारा दिए जा सकने वाले निदेश;

(ग) ज्ञापन का प्रपत्र जिसमें किसी विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और अपेक्षित सहायक प्रलेख;

(घ) साठ दिन की निर्धारित अवधि के भीतर या इसके समाप्त होने के बाद विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन के संबंध में देय शुल्क की दर;

(ङ) विवाह पंजीयक के कार्यालय के बाहर किसी स्थान पर विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ जमा कराए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क की दर;

(च) विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रपत्र एवं जारी करने की पद्धति;

(छ) विवाह पंजीयक के अस्वीकरण आदेश के विरूद्ध अपील की पद्धति;

(ज) इस अधिनियम द्वारा या अन्तर्गत रखे जाने के लिये अपेक्षित रजिस्टर या अभिलेख, जिस रूप तथा पद्धति में बनाए जाएंगे;

(झ) जिसकी अभिरक्षा में रजिस्टर तथा अभिलेख रखे जाएंगे, ऐसे रजिस्टरों तथा अभिलेख का परिरक्षण तथा वे शर्तें तथा परिस्थितियां जिनमें किसी विवाह रजिस्टर की कोई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ठीक की जा सकेगी या रद्द की जा सकेगी;

(ञ) किसी विवाह रजिस्टर से दिये जाने वाले प्रमाणित उद्धरणों के शुल्क की दर;

(ट) कोई अन्य विषय, जो अपेक्षित होगा या निर्धारित हो सकेगा।

जिन विषयों पर नियम बनाए जाने हैं, वे प्रशासनिक विवरण तथा प्रक्रिया संबंधी है और विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

वित्तीय ज्ञापन

क्योंकि अधिनियम बनने के पश्चात् विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किये जाने से हजारों विवाहों का पंजीकरण होगा इसके लिए निम्नलिखित की व्यवस्था जरूरी है :–

1. 100 अधिकारी
2. 100 कार्यालय तथा सहायक कर्मचारी, उपकरण आदि
3. भारी डाटा आधार के अनुरक्षण हेतु पद्धति (वोटर पहचान पत्र की तरह)

अतः अनुमान है कि विवाह पंजीकरण हेतु मूलभूत ढाँचा तैयार करने पर निम्नलिखित अनुमानित राशि अपेक्षित होगी।

(क) 20 करोड़ रुपये आवर्ती व्यय

(ख) 01 करोड़ रुपये गैर आवर्ती व्यय

दिल्ली विवाह पंजीकरण विधेयक, 2012 में यह भी प्रस्ताव है कि विवाह पंजीकरण की फीस अधिनियम की नियमावली में उल्लिखित होगी जो 10/–रुपये से अधिक नहीं होगी, यदि विवाह साठ दिन की निर्धारित अवधि में पजीकरण होता है तथा उसके पश्चात् पंजीकरण के लिए 50/–रुपये । विवाह पंजीकरण न करवाने पर 1000/–रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 31st May, 2012

No. 21(07)/2012/LAS-IV/Leg./4150.—The following is published for general information.—

THE DELHI REGISTRATION OF MARRIAGES BILL, 2012
(BILL No. 07 of 2012)

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 31st May, 2012)

A

BILL

to provide for the registration of all marriages solemnized in the National Capital Territory of Delhi and for certain other matters connected therewith.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement. – (1) This Act may be called the Delhi Registration of Marriages Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. **Definitions.**- In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;

(b) "Government" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of the Constitution;

(c) "marriage" means a marriage solemnized or entered into in any form or manner and includes remarriage;

(d) "marriage register" means a register of marriages maintained under this Act containing such particulars and details as may be prescribed;

(e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(f) "Principal Registrar of Marriages" means the Principal Registrar of Marriages appointed by the Government for a specified revenue area called as "district" under sub-

section (1) of section 4 of this Act and includes an Additional Principal Registrar of Marriages appointed under sub-section (1) of section 4 of this Act ;

(g) "Registrar General of Marriages" means the Registrar General of Marriages appointed by the Government under section 3 of this Act;

(h) "Registrar of Marriages" means a Registrar of Marriages appointed by the Government under section 5 of this Act and includes the Registrar General of Marriages, Principal Registrars of Marriages and Additional Principal Registrars of Marriages;

CHAPTER- II

ESTABLISHMENT OF REGISTRARS

3. **Registrar General of Marriages.-** (1) There shall be a Registrar General of Marriages for Delhi who shall be appointed by the Government by notification in the official Gazette.

(2) The Government may also appoint such other officers with such designations as it thinks fit for the purpose of discharging, under the superintendence and direction of the Registrar General of Marriages, such of his functions as he may from time to time, authorize them to discharge.

(3) The Registrar General of Marriages shall be the Chief Executive Authority in Delhi for carrying into execution the provisions of this Act and the rules and orders made thereunder subject to the directions, if any, given by the Government.

4. **Principal Registrars of Marriages.** – (1) The Deputy Commissioner of each revenue area of Delhi (hereafter called as "district") shall be the Principal Registrar of Marriages for such district and the Government may also appoint such number of Additional Principal Registrars of Marriages, as it thinks fit, who shall, subject to the general control and direction of the Principal Registrar of Marriages, discharge such functions of the Principal Registrar of Marriages as he may, from time to time, authorize them to discharge.

(2) The Principal Registrar of Marriages shall be responsible for carrying into execution in the district the provisions of this Act and the orders issued in this regard by the Registrar General of Marriages, from time to time.

5. **Registrars of Marriages.-** The Government shall appoint, by notification in the official Gazette, a Registrar of Marriages for any designated area including local area or cantonment area, who may be endowed with such duties and functions under this Act as are conferred upon him.

CHAPTER-III

REGISTRATION OF MARRIAGES

6. **Every marriage to be registered.-** (1) After the commencement of this Act, every marriage, solemnized or contracted in Delhi, or solemnized or contracted out of Delhi at any place in the country, by a person who, normally resides in Delhi, shall be registered in the manner provided in this Act, within a period of sixty days from the date of marriage;

Provided that a marriage registered under any other law relating to registration of marriages for the time being in force, need not be registered under this Act:

Provided further that a marriage may be registered under this Act if it is not prohibited by the law applicable to the parties to the marriage.

(2) It shall be the responsibility of each of the parties to a marriage to get the marriage registered with the concerned Registrar of Marriages.

(3) Failure of the party to apply for registration of a marriage shall be punishable under section 17 of this Act.

7. **Submission of application for registration.-** (1) One or both of the parties to a marriage or any person authorized by the parties to the marriage, may apply for registration of a marriage in the Memorandum along with the fees as may be prescribed by the Government in this regard:

Provided that the Government may, by notification in the official Gazette, exempt any categories or classes of persons from the payment of the registration fee under this sub-section.

(2) The memorandum for registration shall be submitted in duplicate in the prescribed form duly signed by the parties to a marriage along with at least one witness from each side, to the Registrar of Marriages of the area, within a period of sixty days from the date of the marriage.

(3) The memorandum for registration of a marriage may also be submitted after the expiry of the prescribed period of sixty days, upon payment of such fees as may be prescribed by the Government in this regard.

(4) Nothing in sub-section (3) shall affect the liability under section 17 of this Act of any person who has willfully omitted or neglected to apply in prescribed form within the period specified in sub-section (2) of this section.

8. **Place of registration of marriages.-** The Registration shall ordinarily be effected in the office of the Registrar of Marriages –

(a) in whose jurisdiction either or both parties to the marriage normally, reside, or

(b) in whose jurisdiction the marriage is solemnized if none of the parties normally reside in Delhi.

9. **Registration of marriages solemnized or contracted in foreign country.**- Where a marriage is solemnized or contracted in a foreign country by citizens of India or either of them is an Indian citizen who normally resides in Delhi preceding his or her marriage, such marriage may be registered under this Act.

10. **Registration of marriages solemnized or contracted prior to commencement of this Act:** Any marriage solemnized or contracted before the commencement of this Act, by the persons who normally resides in Delhi, if not already registered under any other law, may be registered under this Act.

11. **Marriage to be registered upon application.**- (1) On receipt of such memorandum in the prescribed form, the Registrar of Marriages shall scrutinize the memorandum and other documents attached with the memorandum, if any, or other facts noticed or brought to his notice.

(2) In case, the identity of the parties or the witnesses or the persons testifying the identity of the parties and the solemnization of the marriage is not established beyond reasonable doubt, the Registrar of Marriages may call upon the parties to produce such further information or documents as deemed necessary for establishing the identity of the parties and the witnesses or correctness of the information or documents presented to him.

(3) On scrutiny of memorandum and other documents presented to him or on further verification as provided in sub-section (2), if the Registrar concerned is satisfied that there is no objection to registration of the marriage, he shall make an entry of the same in the marriage register maintained by him and shall also keep the same in electronic form;

Provided that in the case of a marriage solemnized in a foreign country, the Registrar of Marriages shall satisfy himself -

(a) that the marriage has been solemnized in accordance with the laws of that country between the parties, of whom, at least, one was a citizen of India; and

(b) that at the time of registration, the marriage satisfies all the conditions laid down in section 4 of the Foreign Marriages Act, 1969 (33 of 1969).

(4) After making entry in the marriage register under sub-section (3), the Registrar of Marriages shall issue a Certificate of registration of marriage to the parties, free of charge, under his hand and seal h form as may be prescribed.

(5) The Registrar of Marriages shall send the duplicate copy of the memorandum to the Principal Registrar of Marriages.

12. **Furnishing of information by Marriage Officer under other laws.-** It shall be the duty of every Marriage Officer appointed under any law relating to solemnization of marriages to furnish information in respect of marriages solemnized by him to the Principal Registrar of Marriages.

13. **Refusal to Register Marriage.** - The Registrar shall not refuse to register any marriage for which a duly filled up and signed memorandum has been received by him except in the following cases, namely:-

(a) when the memorandum does not contain all the information that is required to be furnished therein or the identity of the parties or the witnesses or the persons testifying the identity of the parties and the solemnization of the marriage is not established beyond reasonable doubt or

(b) when the bride has not completed 18 years of age or the groom has not completed 21 years of age, as the case may be, or

(c) where either party makes a categorical statement before the Registrar that he or she was forced into the marriage and that the marriage was performed without his or her free consent:

14. **Appeal .-** (1) Any person aggrieved by the refusal of the Registrar of Marriages to register marriage may, within a period of thirty days from the date of receipt of order of refusal, appeal to the Additional Principal Registrar of Marriages in such manner as may be prescribed:

Provided that the Additional Principal Registrar of Marriages may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if he is satisfied that there was sufficient cause for not preferring it within that period.

(2) The Additional Principal Registrar of Marriages may, after giving an opportunity of being heard to the parties affected and after recording the reasons therefore in writing, direct the Registrar of Marriages to register the marriage or confirm the order of refusal passed by the Registrar of Marriages.

(3) Any person aggrieved by the refusal of the Additional Principal Registrar of Marriages under sub-section (2) may, within a period of thirty days from the date of receipt of order, appeal against such order to the Principal Registrar of Marriages in such manner as may be prescribed.

(4) The Principal Registrar of Marriages may, after giving an opportunity of being heard to the parties affected and after recording the reasons in writing, direct the Registrar of Marriage to register the marriage or confirm the order of refusal passed by the Registrar of marriage.

(5) The decision of the Principal Registrar of Marriages in such appeal shall be final and thereupon the Registrar of Marriages shall act in conformity with such decision.

CHAPTER-IV

MAINTENANCE OF MARRIAGE REGISTER AND CORRECTION THEREOF

15. **Correction or cancellation of entry in the marriage register.**- If it is found to the satisfaction of the Registrar of Marriages that any entry of a marriage in any register kept by him under this Act is erroneous in form or substance, or has been fraudulently or improperly made, he may subject to such rules as may be made by the Government with respect to the conditions on which and the circumstances in which such entries may be corrected or cancelled, correct the error or cancel the entry by suitable entry in the margin, without any alteration of the original entry, and shall sign the marginal entry and thereto add the date of the correction or cancellation.

16. **Register to be open for public inspection.**- The marriage register maintained under this Act shall, at all reasonable times, be open to inspection and certified extracts therefrom shall, on application, be given by the Registrar on payment by the applicant of the fee prescribed for each such extract.

CHAPTER-V

PENALTIES

17. **Provision for punishment of offences.**- Any party to the marriage who-

(a) wilfully omits or neglects to apply for registration of the marriage in the prescribed memorandum as required under sections 6 and 7 of this Act shall, on conviction, be punished with fine which may extend to ten thousand rupees;

(b) makes any statement in the memorandum which is materially false, and which he knows or has reason to believe to be false, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine, which may extend to five thousand rupees or with both.

18. **Penalty for desecrating, destroying or altering marriage register.**- Any person desecrating, destroying, or dishonestly or fraudulently altering the marriage register or record or any part thereof, shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, and shall also be liable to fine.

CHAPTER-VI

MISCELLANEOUS

19. **Failure to apply for registration not to affect the legal validity of a marriage:-** Failure to register a marriage which was validly entered into shall not detract from the legal validity of the marriage.

20. **Registrars of Marriage to be Public Servants.-** All Registrars of Marriages shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

21. **Overriding effect of the Act.-** The provisions of the Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force, but save as aforesaid, the provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being applicable to marriages.

22. **Protection of action taken in good faith.-** No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions this Act and rule made thereunder.

23. **Court competent to try offences under this Act.-** No court other than the court of Metropolitan Magistrate shall try an offence under this Act.

24. **Power to delegate.-** The Government may by notification in the official Gazette, direct that any power exercisable by it under this Act, may also be exercised by such officer as may be mentioned therein, subject to such conditions, if any, as may be set out.

25. **Power to make rules.-** (1) The Government may, after previous publication and by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters namely :-

(a) the terms and conditions of appointment; and duties and powers of the Registrar General of Marriages, Principal and Additional Principal Registrars of Marriages, Registrars of Marriages, and other officers and staff appointed to assist them;

(b) the directions which may be given by the Government to the Registrar General of Marriages for carrying into execution the provisions of this Act;

(c) the form of Memorandum in which application for registration of marriage shall be submitted and supporting documents required;

(d) the rate of fee payable in respect of application for registration of marriage submitted within and after the prescribed period of sixty days;

(e) the rate of additional fee to be accompanied with the application for registration of marriage at a place outside the office of the Registrar of Marriages;

(f) the form and manner of issue of certificate of registration of marriage;

(g) the manner of appeal against the order of refusal of the Registrar of Marriages;

(h) the form and manner in which registers or records, required to be kept by or under this Act, shall be maintained;

(i) the custody in which the registers and records are to be kept the preservation of such registers and records and the conditions and circumstances in which any erroneous entry of a marriage register may be corrected or cancelled;

(j) the rate of fee or certified extracts to be given from a marriage register

(k) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the Legislative Assembly of Delhi while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

26. **Power to remove difficulty.**- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the official gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of Legislative Assembly.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In our country, marriage is treated as an institution. Indian Culture spanning all religions assigns great value to the solemnization of marriage between two individuals. But, of late, there are numerous instances of abuse of the institution of marriage. It has been seen that many times unscrupulous husband altogether deny marriage leaving their wives in the lurch, be it for seeking maintenance custody of children or inheritance of property. Then, there are States where child marriages are rampant without any check. Every year, lakhs of marriages are performed in our country, mostly as social marriages conducted by performing the prescribed religious rituals, in a traditional way. Most of these marriages have no official record, as hardly a few of these marriages are registered. Recently, the Supreme Court, moved by the plight of women fighting for their rights under wedlock, ruled that all marriages should be registered in order to prevent child marriage, check bigamy or polygamy, help women to exercise their right of maintenance from the husband and custody of children's and enable widows to claim inheritance. There is no such law at present to provide for compulsory registrations of marriage in the country, except four states, namely, Maharashtra, Gujarat, Karnatka and Himachal Pradesh which have enacted laws for compulsory registrations of marriages. The proposal for a uniform Central Law for the country has been pending for the last 15. years

Therefore, it is high time that a law on compulsory registration of marriages to be applicable in the National Capital Territory of Delhi is made.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(A.K. WALIA)
Minister of Revenue

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 25 of the Delhi Registration of Marriages Bill, 2012 confers on the Government the power to make rules, with previous publications, in respect of the following matters, namely :-

(a) the terms and conditions of appointment; and duties and powers of the Registrar General of Marriages, Principal and Additional Principal Registrars of Marriages, Registrars of Marriages, and other officers and staff appointed to assist them;

(b) the directions which may be given by the Government to the Registrar General of Marriages for carrying into execution the provisions of this Act;

(c) the form of Memorandum in which application for registration of marriage shall be submitted and supporting documents required;

(d) the rate of fee payable in respect of application for registration of marriage submitted within and after the prescribed period of sixty days;

(e) the rate of additional fee to be accompanied with the application for registration of marriage at a place outside the office of the Registrar of Marriages;

(f) the form and manner of issue of certificate of registration of marriage;

(g) the manner of appeal against the order of refusal of the Registrar of Marriages;

(h) the form and manner in which registers or records, required to be kept by or under this Act, shall be maintained;

(i) the custody in which the registers and records are to be kept the preservation of such registers and records and the conditions and circumstances in which any erroneous entry of a marriage register may be corrected or cancelled;

(j) the rate of fee or certified extracts to be given from a marriage register;

(k) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

The matters in respect of which rules may be made are matters of administrative detail and procedure and, as such, the delegation of legislative power is of a normal character.

FINANCIAL MEMORANDUM

As thousand of marriages would be registered after the registration of marriage is made compulsory after enactment of the Act, the following paraphernalia has to be in place :-

1. 100 Officers.
2. 100 offices and supporting staff, equipment etc.
3. Mechanism for maintenance of the huge data base (on the lines of Voter I.Card).

Hence, it is estimated that the following amount would be required infrastructure for registration of marriages.

(A) Rs.20 crore recurring expenditure.

(B) Rs.1 crore non-recurring expenditure.

The Delhi Registration of Marriages Bill, 2012 also proposed that the fees for registration are to be prescribed by rules framed under the Act and should not be more than Rs.10/- if the marriage is registered within the prescribed time limit of sixty days and Rs.50/- if registered thereafter. A fine of Rs.10000/- for non registration of marriage shall be imposed.

सं. 21(08)/2012/एलएएस-IV/एलईजी/4158.—निम्नलिखित को जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2012

[विधेयक संख्या (08) 2012]

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में

दिनांक 31 मई, 2012 को पुर:स्थापित किया गया)

भारत गणराज्य के त्रेष्ठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में निम्न प्रकार से अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :– (1) यह अधिनियम न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2012 कहा जायेगा ।

(2) यह समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होगा ।

(3) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निश्चित तिथि से लागू होगा ।

2 धारा 26 संशोधन :– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवृत न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (जिसे इसे पश्चात् "मुख्य अधिनियम" कहा गया है) की धारा 26 को पुनःक्रमांकित करके उसे उसकी उपधारा (1) किया जाएगा तथा इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :–

"(2) उपधारा (1) तथा धारा 25 के उद्देश्यों के लिए "स्टाम्प" का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति या एजेंसी से जिसे समुचित सरकार ने अधिकृत किया है का कोई चिन्ह, मोहर या पृष्ठांकन तथा इसमें इस अधिनियम के अन्तगर्त प्रभार्य न्यायालय शुल्क के उद्देश्य से चिपकाई जाने वाली या अंकित स्टाम्प भी शामिल हैं ।

स्पष्टीकरण:– "अंकित स्टाम्प" में फ्रेकिंग मशीन या कोई अन्य मशीन या ई–स्टाम्पिंग या समान शॉफ्टवेयर द्वारा लगाया गया कोई यूनिक नम्बर शामिल है जैसा कि समुचित सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

3 अनुसूचि–1 तथा अनुसूचि–2 के लिए नयी अनुसूचि का प्रतिस्थापन:– मुख्य अधिनियम में अनुसूचि–1 तथा अनुसूचि–2 के लिए क्रमशः निम्नलिखित अनुसूचि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"अनुसूची –1

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवृत्त)

यथा मूल्य शुल्क

	संख्या		समुचित शुल्क
1.	वाद पत्र, लिखित वचन, अभिवचन,मुजराई या प्रतिदावा या अपील का ज्ञापन (न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7) की किसी अनुसूची के अन्तर्गत अन्यथा उपबंधित नहीं) या धारा 8 में उल्लिखित को छोड़कर किसी दीवानी अदालत या राजस्व अदालत में प्रस्तुत प्रत्याक्षेप का	जब विषय वस्तु की राशि या मूल्य विवादित हो– (i) पचास हजार रुपये तक (ii) पचास हजार एक रुपये से बीस लाख रुपये तक (iii) बीस लाख रुपये से ऊपर	(i)उस राशि का मूल्य का दो प्रतिशत या एक हजार रुपये जो ज्यादा हो; (ii) उस राशि या मूल्य का तीन प्रतिशत; (iii) उस राशि का चार प्रतिशत
2.	विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (1963 का 47) की धारा 6 के अन्तर्गत कब्जे के लिए वाद में वाद पत्र		पिछले मानदंड (अनुच्छेद –1 के अनुसार) में उल्लिखित राशि का आधा
3.	परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत		पिछले मानदंड में यथानिर्धारित (अनुच्छेद–1 के अनुसार) लिखित के मूल्य के आधार पर परिकलित
4.	अचल संयुक्त संपत्ति के बंटवारे का मुकद्दमा	दीवानी अदालत जिसमें उच्च न्यायालय भी शामिल है की मूल शाखा के सामने दायर (आर्थिक क्षेत्राधिकार के अनुसार)	संपत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार इस अनुसूची के अनुच्छेद–1 के अनुसार समुचित परन्तु न्यूनतम न्यायालय शुल्क एक हजार रुपये।
5.	निर्णय पर पुनर्विचार के लिए प्रार्थना पत्र यदि डिक्री की तिथि से नब्बे दिन तक या उसके पश्चात् प्रस्तुत की		वाद पत्र या अपील के ज्ञापन पर उदग्रहित शुल्क
6.	निर्णय पर पुनः विचार के लिए प्रार्थना पत्र यदि डिक्री की तिथि से नब्बे दिन		वाद पत्र या अपील के ज्ञापन पर उदग्रहित

	तक या उसके पश्चात् प्रस्तुत की		शुल्क
7.	निर्णय या आदेश के अनुवाद की प्रति जो डिक्री के समान या डिक्री की तरह प्रभावी नहीं होगा।	जब ऐसा निर्णय या आदेश उच्च न्यायालय को छोड़कर कोई दीवानी न्यायालय या किसी राजस्व न्यायालय का पीठासीन अधिकारी या राजस्व न्यायालय का अधिकारी या कार्यालय या कोई अन्य न्यायिक कार्यकारी प्राधिकारी पारित करे। जब ऐसा निर्णय आदेश उच्च न्यायालय पारित करे।	दस रुपये प्रति पृष्ठ बीस रुपये प्रति पृष्ठ
8.	डिक्री या आदेश जो डिक्री के समान लागू होता है	जब ऐसा निर्णय या डिक्री उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी दीवानी न्यायालय या किसी राजस्व न्यायालय ने पारित किया है। जब ऐसा निर्णय या डिक्री उच्च न्यायालय ने पारित की है।	दस रुपये प्रति पृष्ठ बीस रुपये प्रति पृष्ठ
9.	किसी ऐसे दस्तावेज की प्रति जिस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी उद्ग्रहीत है, मूल को वापिस लेकर उसके स्थान पर किसी पक्ष द्वारा मुकद्दमें के लिए छोड़ा है, बशर्ते कि उस प्रति पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत कोई शुल्क नहीं लगता।	(क) जब मूल पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी एक रुपये से अधिक न हो (ख) किसी अन्य मामले में	एक रुपया दस रुपये
10.	किसी राजस्व या न्यायिक कार्यवाही या आदेश जिसका इस अधिनियम में प्रावधान नहीं है या किसी लेखा, बयान, रिपोर्ट या किसी दीवानी या फौजदारी या राजस्व न्यायालय के कार्यालय या किसी ऐसे मुख्य अधिकारी के कार्यालय से जिसे किसी मंडल के कार्यकारी प्रशासन का प्रभार प्राप्त है, कोई प्रति	प्रत्येक तीन सौ साठ शब्द या तीन सौ साठ शब्द के किसी भाग के लिए	दस रुपये
11.	किसी वसीयत का प्रोबेट या वसीयत के साथ या संलग्न वसीयत के बिना	जब ऐसी संपत्ति की राशि या मूल्य जिसका प्रोबेट या शासन	ऐसी राशि या मूल्य का

	शासन पत्र	पत्र किया गया है, एक लाख रुपये से अधिक परन्तु दस लाख रुपये से अधिक नहीं है।	ढाई प्रतिशत
		जब राशि या मूल्य दस लाख रुपये के अधिक परन्तु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है	ऐसी राशि या मूल्य का सवा तीन प्रतिशत
		जब राशि या मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक है	ऐसी राशि या मूल्य का चार प्रतिशत।
		उपबंध है कि जब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 या 1827 का बम्बई संहिता विनियम सं0 8 के अंतर्गत किसकी संपदा में सम्पत्ति शामिल है जब उस संपत्ति के बारे में प्रोबेट या शासन पत्र किया जायेगा पत्र प्रदान करने के विषय में देय शुल्क में से पहले प्रदान की गई राशि को घटा दिया जायेगा।	
12.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के भाग–X के अंतर्गत प्रमाण पत्र		अधिनियम की धारा 374 के अंतर्गत प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट राशि या किसी ऋण या प्रतिभूति की राशि या मूल्य का चार प्रतिशत जिसका प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 376 के अंतर्गत विस्तारित है।
			नोट:– (1) ऋण की राशि इसकी ब्याज सहित वह राशि है जो प्रमाण पत्र में ऋण को शामिल करने के लिए आवेदन के दिन होती है जहां तक इस राशि को

			निर्धारित किया जा सकता है। (2) अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति के विषय में कोई अधिकार प्रदान किया गया अथवा नहीं और जहां यह अधिकार ब्याज प्राप्त करने या लाभांश प्राप्त करने या मोलभाव करने या अंतरण के लिए है, दोनों उद्देश्यों की प्रतिभूति का मूल्य उसका वह बाजार मूल्य है जो उस दिन है जब प्रतिभूति को प्रमाण पत्र में शामिल करने के लिए आवेदन किया गया था जहां तक इस राशि को निर्धारित किया जा सकता है।
13.	दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रयुक्ति हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 44 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने या दिल्ली के उपराज्यपाल के न्यायालय को पंजाबी किरायेदारी अधिनियम, 1887 (1887 का 16) की धारा 84 के अंतर्गत अपनी पुनःर्विचार अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने हेतु आवेदन पत्र	जब विवादस्पद विषय की राशि या मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है। जब यह राशि या मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक है	एक सौ रुपये अपील के ज्ञापन पर उदग्राह्य शुल्क ”

"अनुसूची–II

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवृत्त)

निश्चित शुल्क

	संख्या		समुचित शुल्क
1.	आवेदन या याचिका	(क) सीमाकर या आबकारी विभाग के अधिकारी या सरकार से संपर्क रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत तथा जब आवेदन की विषय–वस्तु पूर्णतः इस संपर्क से संबंध रखता है। या अस्थायी चकबंदी भूमि को सरकार से सीधा संपर्क के अधीन स्वामित्व में रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भू–राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत तथा जब आवेदन या याचिका की विषय वस्तु केवल ऐसे व्यवहार से संबंधित हो। या जब तत्समय लागू किसी अधिनियम के अन्तर्गत किसी स्थान के संरक्षण या सुधार के लिए किसी नगर निगम आयुक्त को प्रस्तुत की गई हो यदि आवेदन या याचिका केवल ऐसे संरक्षण या सुधार से संबंधित हो; या जब किसी मुकद्दमें या मामले के बारे में जिसकी विषय वस्तु पचास रुपये से कम हो, किसी मूल अधिकार क्षेत्र वाले प्रमुख दीवानी न्यायालय को छोड़कर किसी दीवानी न्यायालय में या 1865 के अधिनियम सं0 11 या 1868 के अधिनियम सं0 16 के	

		अंतर्गत गठित लघुवाद न्यायालय को या कलेक्टर या राजस्व के किसी अधिकारी को प्रस्तुत किया हो	
		या	
		जब किसी दीवानी, फौजदारी या राजस्व न्यायालय को प्रस्तुत किया गया या किसी न्यायालय, बोर्ड या अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के अनुवाद की प्रति प्राप्त करने के लिए या ऐसे न्यायालय या कार्यालय में रिकार्ड में रखे गए किसी अन्य दस्तावेज के लिए।	दस रुपये
		(ख) जब शिकायत की गई हो या अपराध के अलावा किसी अपराध के आरोप के लिए पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अन्तर्गत वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है और किसी फौजदारी अदालत में प्रस्तुत कर सकता है;	
		या	
		जब सिविल अपराधिक या राजस्व न्यायालय या कलेक्टर या किसी राजस्व अधिकारी जिसकी अधिकारिता समान हो या कलेक्टर का अधीनस्थ हो या उसकी कार्यकारी क्षमता का कोई दंडाधिकारी और अन्यथा इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त;	
		या	
		न्यायालय में जमा कराया जाने वाला राजस्व या किराया;	दस रुपये

		यां न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भू–स्वामी द्वारा किराएदार को भुगतान।	
		(ग) जब मुख्य आयुक्त या अन्य मुख्य नियंत्रक, राजस्व या कार्यकारी प्राधिकरण या राजस्व या सर्किट के आयुक्त या मंडल के कार्यकारी प्रशासन के साथ किसी मुख्य प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए और अन्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अन्यथा नहीं;	दस रुपये
		(घ) जब उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाए— (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका के अलावा बन्दी प्रत्यक्षीकरण. के लिए तथा दंड प्रक्रिया के लिए आने वाली याचिका;	एक सौ रुपये
		(ii) अधिकार लेख चार्टर के अंतर्गत अधिकार लेख अपील;	एक सौ रुपये
		(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत;	एक सौ रुपये
		(iv) अन्य सभी मामलों में विशेष रूप से उपलब्ध नहीं है।	दो सौ रुपये
2.	किसी सिविल न्यायालय को आवेदन कि रिकार्ड किसी अन्य न्यायालय से मंगवाया जाए	जब न्यायालय आवेदन पर अपने विचार देता है कि ऐसे रिकार्ड का प्रेषण पोस्ट के प्रयोग पर सम्मिलित है।	इस अनुसूची के अनुच्छेद–1 के खंड (क) खंड (ख) या खंड (घ) के अन्तर्गत आवेदन पर उगाही फीस के अलावा दस प्रतिशत।

3.	वाद में अपील का वाद--पत्र या ज्ञापन ताकि दखल के अधिकारी को स्थापित या असत्यसिद्ध करना।		एक सौ पच्चीस रुपये
4.	तलाक अधिनियम 1869 (1869 का 4) की धारा 49 के अन्तर्गत वचनबद्ध।		एक सौ पच्चीस रुपये
5.	अपील का ज्ञापन जब अपील डिक्री से न हो या डिक्री के फोर्स का आदेश हो और उसे प्रस्तुत किया गया हो।	(क) उच्च न्यायालय के अलावा कोई सिविल न्यायालय या किसी राजस्व न्यायालय को या उच्च न्यायालय के अलावा कार्यकारी अधिकारी या मुख्य राजस्व नियंत्रक या कार्यकारी प्राधिकारी। (ख) उच्च न्यायालय को या मुख्य आयुक्त या मुख्य कार्यकारी नियंत्रक या राजस्व प्राधिकारी।	दस रुपये बीस रुपये
6.	विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43) या हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) या मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939 (1939 का 8) का विघटन के अंतर्गत प्रत्येक याचिका या आवेदन या अपील का ज्ञापन		एक सौ पचास रुपये
7.	निम्न प्रत्येक वाद में अपील का वाद या ज्ञापन:-- (i) अधिकार--लेख या किसी राजस्व न्यायालय द्वारा गैर स्थापित सिविल न्यायालय के सार निर्णय को बदलना या अलग करना या आदेश देना; (ii) राजस्व अदा करने वाले संपदा के मालिक के नाम की रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को बदलना या रद्द करना; (iii) घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के लिए जहां अनुवर्ती सहायता की प्रार्थना न की गई हो; (iv) गोद लेने को अलग करना;		दो सौ रुपये दो सौ रुपये दो सौ रुपये एक सौ पचास रुपये

	(v) अन्य प्रत्येक वाद जहां राशि का मूल्यांकन संभव नहीं है वहां विषय मामला विवादित है और न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) की अनुसूची के द्वारा कोई अन्यथा उपलब्ध हो।		एक सौ पचास रुपये
8(क)	माध्यस्थम् के अंतर्गत आवेदन तथा सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26)		
	(i) धारा 11 के अन्तर्गत माध्यस्थम् की नियुक्ति के लिए	जब इनके समक्ष हो– (i) सिविल न्यायाधीश; (ii) जिला न्यायाधीश; (iii) उच्च न्यायालय;	दो सौ पचास रुपये पाँच सौ रुपये एक हजार रुपये
	(ii) धारा 27 के अन्तर्गत गवाही लेने के लिए न्यायालय की सहायता के लिए।	जब इनके समक्ष हो– (i) सिविल न्यायाधीश; (ii) जिला न्यायाधीश; (iii) उच्च न्यायालय;	दो सौ पचास रुपये पाँच सौ रुपये एक हजार रुपये
	(iii) धारा 36 के अन्तर्गत पुरस्कार हेतु प्रवर्तन मांगने हेतु।	जब इनके समक्ष हो– (i) सिविल न्यायाधीश; (ii) जिला न्यायाधीश; (iii) उच्च न्यायालय;	एक हजार रुपये या निर्णित की गई राशि का एक प्रतिशत। इनमे से जो ज्यादा हो।
	(iv) धारा 34 के अन्तर्गत माध्यस्थम् पुरस्कार निर्धारित करने के लिए	जब इनके समक्ष हो– (i) सिविल न्यायाधीश; (ii) जिला न्यायाधीश; (iii) उच्च न्यायालय;	एक हजार रुपये या निर्णित की गई राशि का एक प्रतिशत। इनमे से जो ज्यादा हो।
8(ख)	धारा 37 के अंतर्गत अपील का ज्ञापन		एक हजार रुपये या निर्णित की गई राशि का एक प्रतिशत। इनमे से जो ज्यादा हो।
9.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत न्यायालय के मत के लिए प्रश्न पूछने हेतु लिखित मे अनुबंध।		एक सौ पचास रुपये

10.	तलाक अधिनियम, 1869 (1869 का 4) के अन्तर्गत प्रत्येक याचिका, इसी अधनियम की धारा 44 के अन्तर्गत याचिका को छोड़कर तथा इसी अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत प्रत्येक अपील का ज्ञापन।		एक सौ पचास रुपये
11.	पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936 (1936 का 3) के अन्तर्गत वाद या अपील का ज्ञापन।		एक सौ पचास रुपये
12.	पैतृक भूमि के हस्तांतरण के संबंध में घोषणा के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू किसी रूढ़िगत कानून के अंतर्गत संशोधन वाद द्वारा वाद में वाद या अपील का ज्ञापन।		एक सौ पचास रुपये
13.	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59) के अन्तर्गत सहायता के लिए आवेदन या अपील का ज्ञापन।		एक सौ पचास रुपये
14.	बैंकिग कंपनी अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अन्तर्गत राशि का दावा के लिए (चाहे सुरक्षित या असुरक्षित) या ऐसे दावों के विरूद्ध दावा करना।	(क) जहां राशि दो हजार पाँच सौ रुपये से अधिक न हो। (ख) जहां राशि दो हजार पाँच सौ रुपये से अधिक हो परन्तु दस हजार रुपये से अधिक न हो। (ग) जहां राशि दस हजार रुपये से अधिक हो।	एक सौ पचास रुपये दो सौ पचास रुपये पाँच सौ रुपये
15.	बैंकिग कंपनी अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 बी के प्रावधानों के तहत पारित आदेश या निर्णय से अपील का ज्ञापन।	क) जहां राशि पाँच हजार रुपये से अधिक हो परन्तु दस हजार रुपये से अधिक न हो (ख) जहां राशि दस हजार रुपये से अधिक हो।	एक हजार रुपये एक हजार पाँच सौ रुपये
16.	किसी निर्णय के प्रवर्तन में निष्पादन याचिका मांगना	(क)जब सिविल न्यायाधीश के समक्ष दायर हो;	दो सौ पचास रुपये

		(ख) जब जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर हो; (ग) जब उच्च न्यायालय के समक्ष दायर	पाँच सौ रुपये एक हजार रुपये
17.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अन्तर्गत या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 402 से 411 तक के अंतर्गत स्थानांन्तरण याचिका।	(क)जब सत्र न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर हो; (ख) जब उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हो; (ग) जब मुख्य दंडाधिकारी के समक्ष दायर	पाँच सौ रुपये एक हजार रुपये दो सौ पचास रुपये
18.	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के अभ्यावेदन के अंतर्गत चुनाव याचिका।		पाँच हजार रुपये
19.	उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 482 के अंतर्गत याचिका।		दो सौ पचास रुपये
20.	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 397 के अंतर्गत दंड पुनरीक्षण याचिका।	जब उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हो। जब सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर हो।	एक सौ रुपये पचास रुपये
21.	उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 401 के अंतर्गत दंड पुनरीक्षण याचिका।		एक सौ रुपये
22	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 437 या धारा 438 के अन्तर्गत जमानत आवेदन।	जब उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हो। जब सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर हो। जब दंडाधिकारी के समक्ष दायर हो।	दो सौ पचास रुपये एक सौ रुपये पचास रुपये

23.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 43 के साथ पढ़ा गया धारा 104 के अंतर्गत आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील।	जब उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हो।	दो सौ पचास रुपये
		जब किसी अन्य न्यायालय के समक्ष दायर हो, अधिकारिता अपील का प्रयोग।	एक सौ पचास रुपये
24.	कंपनी अधिनियम 1956(1956 का 1) के अन्तर्गत –		
	(i) उपरोक्त अधिनियम के भाग– vii के अध्याय– ii के अंतर्गत कंपनी को समाप्त करने संबंधी कोई प्रक्रिया		दो हजार पाँच सौ रुपये
	(ii) उक्त अधिनियम के छठे भाग के अध्याय–v के अन्तर्गत किसी प्रकार के समझौता प्रबंध, पुनर्निर्माण या एकीकरण की किसी योजना के लिये न्यायालय की स्वीकृति हेतु किसी प्रकार की कार्रवाई के लिये		दो हजार पाँच सौ रुपये
	(iii) अत्याचार तथा/अथवा कुप्रबंधन की रोकथाम के लिये उक्त अधिनियम के भाग–vi के अध्याय–vi के अन्तर्गत किसी प्रकार की अन्य न्यायिक कार्रवाई		दो हजार पाँच सौ रुपये
	(iv) किसी प्रकार की न्यायिक कार्रवाई करने के लिये उक्त अधियिम के अन्तर्गत कोई अन्य याचिका		दो सौ पचास रुपये
	(v) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत कोई अपील		पाँच सौ रुपये
25.	आपात सूचना/चेतावनी	जब किसी सिविल न्यायाधीश के समकक्ष दायर किया गया।	एक सौ रुपये
		जब किसी जिला न्यायाधीश के समकक्ष दायर किया गया।	दो सौ पचास रुपये
		जब उच्च न्यायालय के समकक्ष दायर किया	पाँच सौ रुपये

26.	न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (1971 का 70) के अन्तर्गत अवमानना याचिका		एक सौ रुपये
27.	न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (1971 का 70) के अन्तर्गत अपील		एक सौ रुपये
28.	मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत दावा याचिका	मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के समक्ष दायर	एक सौ रुपये
29.	किसी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 57) के अन्तर्गत अपील		दो सौ पचास रुपये
30.	बुद्धिजीवी संपत्ति अधिकार के अन्तर्गत कोई वाद या याचिका	जब किसी सिविल न्यायाधीश के समक्ष दायर की जाए जब किसी जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर की जाए जब उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाए	पाँच सौ रुपये एक हजार रुपये पाँच हजार रुपये
31.	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या संपत्ति कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के अन्तर्गत या संबंधित अपील		पाँच हजार रुपये
32.	सीमित दायित्व सहभागिता अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत लेखाओं की व्याख्या हेतु तथा/अथवा विभाजन किसी प्रकार की राहत के लिये सहभागिता अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अन्तर्गत कोई वाद	जब किसी सिविल न्यायाधीश के समक्ष दायर की जाए जब किसी जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर की जाए जब उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाए	एक सौ रुपये या बाद के मूल्य का एक प्रतिशत जो भी अधिक हो दो सौ पचास रुपये या वाद मूल्य का एक प्रतिशत जो भी अधिक हो पाँच सौ या वाद के मूल्य का एक प्रतिशत, जो भी अधिक हो

33.	उच्च न्यायालय के समक्ष दायर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 115 के अन्तर्गत संशोधन याचिका		पाँच सौ रुपये
34.	उच्च न्यायालय के समक्ष दायर समक्ष भाड़ा नियंत्रक या भाड़ा नियंत्रण न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध दिल्ली भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59) के अन्तर्गत दायर संशोधन याचिका		पाँच सौ रुपये
35.	उक्त के अन्तर्गत न आने वाली/वाला कोई याचिका या वाद	जब किसी सिविल न्यायाधीश के समक्ष दायर की जाए	एक सौ रुपये
		जब किसी जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर की जाए	दो सौ पचास रुपये
		जब उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाए	पाँच सौ रुपये ”

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

1958 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू न्यायालय शुल्क में कोई संशोधन नहीं किया गया है जब कि सभी प्रकार की ड्यूटी एवं शुल्क संशोधन किए जा चुके हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की कम्प्यूटर समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को ई–न्यायालय शुल्क प्रारंभ करने के लिये कहा। इसके अलावा कुछेक सिक्के जैसे 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे आदि प्रचलन में नहीं हैं। अतः न्यायालय शुल्क का संशोधन आवश्यक हो गया है।

विधेयक उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

नई दिल्ली:
दिनांक:

(डॉ0 अशोक कुमार वालिया)
राजस्व मंत्री

वित्तीय ज्ञापन

इस समय न्यायालय शुल्क के खाते में लगभग 40–50 करोड़ रुपये की राशि का वार्षिक राजस्व जुटाया गया है। यह संशोधन होने के पश्चात् बढ़ोतरी 10 गुणा बढ़ने से राशि लगभग 500 करोड़ रुपये हो जाती है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्र में न्यायालय शुल्क का संशोधन किसी प्रकार से अधीनस्थ पदधारियों पर कानून बनाने की शक्तियां सौंपना नहीं चाहता है।

No. 21(08)/2012/LAS-IV/Leg./4158.—The following is published for general information .—

THE COURT FEES (DELHI AMENDMENT) BILL, 2012
(BILL No. 08 of 2012)

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 31st May, 2012)

to amend the Court Fees Act, 1870 in its application to the National Capital Territory of Delhi.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.** – (1) This Act may be called the Court Fees (Delhi Amendment) Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. **Amendment of section 26.**- In the Court Fees Act, 1870 as in force in the National Capital Territory of Delhi (hereinafter referred to as "the principal Act"), section 26 shall be re-numbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(2) For the purposes of sub-section (1), and section 25, "stamp" means any mark, seal or endorsement by any agency or person duly authorized by the Appropriate Government, and includes an adhesive or impressed stamp, for the purposes of court fee chargeable under this Act.

Explanation.-"impressed stamp" includes impression by a franking machine or any other machine, or a unique number generated by e-stamping or similar software, as the Appropriate Government may, by notification in the official Gazette, specify."

3. **Substitution of new Schedules for the Schedule I and the Schedule II – In the principal Act, for the Schedule I and the Schedule II, the following Schedules shall respectively be substituted, namely:-**

SCHEDULE I
(AS APPLICABLE TO THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI)
AD VALOREM FEES

Number			Proper fee
1.	Plaint, written statement, pleading, a set off or counterclaim or memorandum of appeal (not otherwise provided for under any of these Schedules of the Court Fees Act, 1870 (7 of 1870) or of cross objection presented to any Civil or Revenue Court except those mentioned in section 8.	When the amount or value of subject matter in dispute is -	
		i) upto fifty thousand rupees;	Two percentum on such amount or value or one thousand rupees whichever is more;
		ii) fifty thousand one rupees upto twenty lakh rupees;	Three percentum on such amount or value;
		iii) above twenty lakh rupees;	Four percentum on such amount or value.
2.	Plaint in suit for possession under section 6 of the Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963).		A fee of one-half the amount prescribed in the foregoing scale (vide Article 1).
3.	Complaint under section 138 of the Negotiable Instrument Act, 1881 (26 of 1881).		Same as prescribed in the foregoing scale (vide Article 1) calculated in terms with value of the instrument.
4.	Suit for partition of immoveable joint property	Filed before Civil Court including High Court at its original side, (as per pecuniary jurisdiction).	Ad-velorem as per Article 1 of this Schedule calculated in accordance with market value of the property subject to minimum court fee of one thousand rupees.
5.	Application for review of judgment, if presented on or after the ninetieth day from the date of the decree.		The fee leviable on the plaint or memorandum of appeal.
6.	Application for review of judgment, if presented before the ninetieth day from the date of the decree.		One-half of the fee leviable on the plaint or memorandum of appeal.
7.	Copy of translation of judgment or order not being, or having the force of a decree.	When such judgment or order is passed by any Civil Court other than a High Court, or by the Presiding Officer of any Revenue Court or Officer of any Revenue Court or Office or by any other Judicial Executive Authority.	Ten rupees per page.

		When such judgment or order is passed by a High Court.	Twenty rupees per page.
8.	Copy of decree or order having the force of a decree.	When such decree or order is made by any Civil Court other than a High Court, or by any Revenue Court.	Ten rupees per page.
		When such decree or order is made by a High Court.	Twenty rupees per page.
9.	Copy of any documents liable to stamp duty under the Indian Stamp Act, 1899, when left by any party to a suit or proceeding in place of the original withdrawn, provided such copy is not subject to any duty under the Indian Stamp Act, 1899.	(a) When the stamp duty chargeable on the original does not exceed one rupees.	One rupees.
		(b) In any other case.	Ten rupees.
10.	Copy of any revenue or judicial proceeding or order not otherwise provided for by this Act, or copy of any account, statement, report or the like, taken out of any Civil or Criminal or Revenue Court of Office or from the office of any chief officer charged with the executive administration of a division	For every three hundred and sixty words or fraction of three hundred and sixty words.	Ten rupees.
11.	Probate of a Will or Letters of Administration with or without Will annexed.	When the amount or value of the property in respect of which the grant of probate or letters is made exceeds one lakh rupees, but does not exceed ten lakh rupees.	Two and one-half per centum on such amount or value.
		When such amount or value exceeds ten lakh rupees, but does not exceed fifty lakh rupees.	Three and one quarter per centum on such amount or value.
		When such amount or value exceeds fifty lakh rupees.	Four per centum on such amount or value.
		Provided that when after the grant of a certificate under Part-X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) or under the Regulation of the Bombay Code No.8 of 1827 in respect of any	

			property included in an estate a grant of probate or letters of administration is made in respect of the same estate, the fee payable in respect of the latter grant shall be reduced by the amount of the fee paid in respect of the former grant.
12.	Certificate under Part-X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925)		Two and one-half per centum on the amount or value of any debt or security specified in the certificate under section 374 of the Act, and four per centum on the amount or value of any debt or security to which the certificate is extended under section 376 of the Act. Note. – (1) The amount of a debt is its amount, including interest on the day on which the inclusion of the debt in the certificate is applied for, so far as such amount can be ascertained. (2) Whether or not any power with respect to a security specified in a certificate has been conferred under the Act and where such a power has been so conferred, whether the power is for the receiving of interest or dividends on or for the negotiation or transfer of, the security of for both purposes, the value of the security is its market-value on the day on which the inclusion of the security in the certificate is applied for, so far as such value can be ascertained.
13.	Application to the High Court of Delhi for the exercise of its Jurisdiction under section 44 of the Punjab Courts Act, 1918 as extended to the National Capital Territory of Delhi or to the Court of the Lt. Governor of Delhi for the exercise of its revisional jurisdiction under section 84 of the Punjab Tenancy Act, 1887 (16	When the amount or value of the subject-matter in dispute does not exceed fifty thousand rupees.	One hundred rupees.
		When such amount or value exceeds fifty thousand rupees.	The fee leviable on a memorandum of appeal.

" SCHEDULE II

(AS APPLICABLE TO THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI)

FIXED FEES

Number			Proper fee
1.	Application or petition	(a) When presented to any officer of the Customs or Excise Department or to any Magistrate by any person having dealings with the Government, and when the subject-matter of such application relates exclusively to those dealings; Or when presented to any officer of land revenue by any person holding temporarily settled land under direct engagement with Government and when the subject-matter of the application or petition relates exclusively to such engagement; Or when presented to any Municipal Commissioner under any Act, for the time being in force, for the conservancy or improvement of any place, if the application or petition relates solely to such conservancy or improvement; Or when presented to any Civil Court other than a prineipal Civil Court of original jurisdiction or to any Court of Small Causes constituted under Act No.11 of 1865 or under Act No.16 of 1868, section 20, or to a Collector or other officer of revenue in relation to any suit or case in which the amount or value of the subject-matter is less than fifty rupees; Or when presented to any Civil, Criminal or Revenue Court, or to any Board or Executive Officer for the purpose of obtaining a copy or translation of any judgment, decree or order passed by such Court, Board or Officer, or of any other document on record in such Court or Office.	Ten rupees.

		(b) When containing a complaint or charge of any offence other than an offence for which police officers may, under the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974), arrest without warrant, and presented to any Criminal Court;	
		Or	
		When presented to a Civil Criminal or Revenue Court or to a Collector or any Revenue Officer having jurisdiction equal or subordinate to a Collector, or to any Magistrate in his executive capacity, and not otherwise provided for by this Act;	
		Or	
		to deposit in Court revenue or rent;	Ten rupees.
		Or	
		for determination by a Court of the amount of compensation to be paid by land-lord to his tenant.	
		(c) When presented to a Chief Commissioner or other Chief Controller, Revenue or Executive Authority, or to a Commissioner of Revenue or Circuit, or to any Chief Officer charged with the executive administration of a Division and not otherwise provided for by this Act.	Ten rupees.
		(d) when presented to the High Court -	
		(i) under article 226 of the Constitution of India other than petition for habeaus corpus and petitions arising out of criminal proceedings;	One hundred rupees.
		(ii) Letters Patent Appeal under the Letter Patent charter;	One hundred rupees.
		(iii) under article 227 of the Constitution of India;	One hundred rupees.
		(iv) in all other cases not specifically provided.	Two hundred fifty rupees.
2.	Application to any Civil Court that records may be called for from another Court.	When the Court grants the application and is of opinion that the transmission of such records involves the use of the post.	Ten percentum in addition to the fee levied on the application under clause (a), clause (b) or clause (d) of Article-1 of this Schedule.

3.	Plaint or memorandum of appeal in a suit to establish or disprove a right of occupancy.		One hundred twenty five rupees.
4.	Undertaking under section 49 of the Divorce Act, 1869 (4 of 1869).		One hundred twenty five rupees.
5.	Memorandum of appeal when the appeal is not from a decree or an order having the force of decree, and is presented.	(a) to any Civil Court other than a High Court or to any Revenue Court or Executive Officer other than the High Court or Chief Controlling Revenue or Executive Authority.	Ten rupees.
		(b) to the High Court or Chief Commissioner, or other Chief Controlling Executive or Revenue Authority.	Twenty rupees.
6.	Every petition or application or memorandum of appeal under the Special Marriage Act, 1954 (43 of 1954), or the Hindu Marriage Act, 1955 (25 of 1955) or the Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 (8 of 1939).		One hundred fifty rupees..
7.	Plaint or memorandum of appeal in each of the following suits :-		
	(i) To alter or set aside a summary decision or order of any of the Civil Courts not established by Letters Patent or of any Revenue Court;		Two hundred rupees.
	(ii) to alter or cancel any entry in a register of the names of proprietors of revenue paying estates;		Two hundred rupees.
	(iii) to obtain a declaratory decree where no consequential relief is prayed;		Two hundred rupees.
	(iv) to set aside an adoption;		One hundred fifty rupees.

	(v) every other suit where it is not possible to estimate at a money-value the subject-matter in dispute, and which is not otherwise provided for by any of the schedules of the Court Fees Act, 1870 (7 of 1870).		One hundred fifty rupees.
8.(a)	Application under the Arbitration, and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996)		
	(i) for appointment of Arbitrator under section 11;	When made before - i) a Civil Judge;	Two hundred fifty rupees.
		ii) a District Judge;	Five hundred rupees.
		iii) the High Court;	One thousand rupees.
	(ii) for court assistance in taking evidence under section 27;	when made before - i) a Civil Judge;	Two hundred fifty rupees.
		ii) a District Judge;	Five hundred rupees.
		iii) the High Court;	One thousand rupees.
	(iii) for seeking enforcement of an award under section 36;	when made before - i) a Civil Judge;	One thousand rupees or one percentum of the amount awarded in the Award, whichever is more.
		ii) a District Judge;	
		iii) the High Court;	
	(iv) for setting aside the arbitral award under section 34;	When made before - i) a Civil Judge;	One thousand rupees or one percentum of the amount awarded, whichever is more.
		ii) a District Judge;	
		iii) the High Court;	
8.(b)	Memorandum of appeal under section 37;		One thousand rupees or one percentum of the amount awarded, whichever is more.
9.	Agreement in writing stating a question for the opinion of the Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)		One hundred fifty Rupees.

10.	Every petition under the Divorce Act, 1869 (4 of 1869) except petitions under section 44 of the same Act, and every memorandum of appeal under section 55 of the same Act.		One hundred fifty rupees.
11.	Plaint or memorandum of appeal under the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936 (3 of 1936).		One hundred fifty rupees.
12.	Plaint or memorandum of appeal in a suit by a reversioner under any customary law in force in the National Capital Territory of Delhi for declaration in respect of an alienation of an ancestral land.		One hundred fifty rupees.
13.	Application or memorandum of appeal for relief under the Delhi Rent Control Act, 1958 (59 of 1958).		One hundred fifty rupees.
14.	Claims for money (whether secured or unsecured) or a claim to set off made against such claims or counter-claims under the Banking Companies Act, 1949 (10 of 1949).	(a) Where the amount does not exceeds two thousand five hundred rupees.	One hundred fifty rupees.
		(b) where the amount exceeds two thousand five hundred rupees but does not exceeds ten thousand rupees.	Two hundred fifty rupees.
		(c) where the amount exceeds ten thousand rupees.	Five hundred rupees.
15.	Memorandum of appeal from an order or decision passed under the provision of section 45B of the Banking Companies Act, 1949 (10 of 1949).	(a) Where the amount exceeds five thousand rupees but does not exceeds ten thousand rupees.	One thousand rupees.
		(b) where the amount exceeds ten thousand rupees.	One thousand five hundred rupees.
16.	Execution petition seeking enforcement of any judgment, order or decree passed by any court.	(a) When filed before a Civil Judge:	Two hundred fifty rupees.
		(b) when filed before a District Judge;	Five hundred rupees.
		(c) when filed before the High Court:	One thousand rupees.

17.	Transfer petition under section 24 of the Code of Civil Procedure, 1908; or under sections 402 to 411 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)	(a) When filed before Session Judge/District Judge.	Five hundred rupees.
		(b) When filed before High Court.	One thousand rupees.
		(c) When filed before Chief Metropolitan Magistrate.	Two hundred fifty rupees.
18.	Election petition under the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951).		Five thousand rupees.
19.	Petition under section 482 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) before the High Court.		Two hundred and fifty rupees.
20.	Criminal revision petition under section 397 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).	when filed before the High Court.	One hundred rupees.
		when filed before a Sessions Judge.	Fifty rupees.
21.	Criminal Revision Petition under section 401 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), before the High Court.		One hundred rupees.
22.	Bail application under section 437 or section 438 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).	When filed before the High Court.	Two hundred fifty rupees.
		when filed before a Sessions Judge.	One hundred rupees.
		when filed before a Metropolitan Magistrate.	Fifty rupees.
23.	First Appeal against order under section 104 read with Order 43 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).	When filed before the High Court.	Two hundred and fifty rupees.
		when filed before any other court exercising appellate jurisdiction.	One hundred and fifty rupees.
24.	Under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) -		
	(i) Any proceeding relating to winding up of a company under chapter II of part VII of the said Act.		Two thousand and five hundred rupees.

	(ii) For any proceeding seeking sanction of the court to the scheme of any compromise, arrangement, reconstruction or amalgamation etc. under chapter V of part VI of the said Act.		Two thousand and five hundred rupees.
	(iii) Any proceeding to prevent oppression and/or mismanagement or any other judicial action under chapter VI of part VI of the said Act.		Two thousand and five hundred rupees.
	(iv) Any other petition under the said Act for taking any judicial action.		Two hundred and fifty rupees.
	(v) Any appeal under the Companies Act, 1956 (1 of 1956).		Five hundred rupees.
25.	Caveat application	When filed before a Civil Judge.	One hundred rupees.
		when filed before a District Judge.	Two hundred fifty rupees.
		when filed before the High Court.	Five hundred rupees.
26.	Contempt petition under the Contempt of Court Act, 1971 (70 of 1971).		One hundred rupees.
27.	Appeal under the Contempt of Court Act, 1971 (70 of 1971)		One hundred rupees.
28.	Claim petition under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).	Filed before a Motor Accidents Claims Tribunal.	One hundred rupees.
29.	Appeal under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) against the award passed by a Motor Accidents Claims Tribunal.		Two hundred and fifty rupees.
30.	Any suit or petition under the Intellectual Property Rights.	When filed before a Civil Judge.	Five hundred rupees.

		when filed before a District Judge.	One thousand rupees.
		when filed before the High Court.	Five thousand rupees.
31.	Appeal relating to and under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).		Five thousand rupees.
32.	Any suit under the Partnership Act, 1932 (9 of 1932) for rendition of accounts and/or partition or for any relief under the Limited Liability Partnership Act, 2008.	When filed before a Civil Judge.	One hundred or one percentum of the valuation of the suit, whichever is more;
		when filed before a District Judge.	Two hundred fifty or one percentum of the valuation of the suit whichever is more;
		when filed before the High Court.	Five hundred or one percentum of the valuation of the suit whichever is more.
33.	Revision petition under section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), filed before the High Court.		Five hundred rupees.
34.	Revision petition filed under the Delhi Rent Control Act, 1958 (59 of 1958) against the order of the Rent Controller or Rent Control Tribunal, filed before the High Court.		Five hundred rupees.
35.	Any other suit or petition not covered hereinabove	When filed before a Civil Judge.	One hundred rupees.
		when filed before a District Judge.	Two hundred and fifty rupees.
		when filed before the High Court.	Five hundred rupees."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is no revision of court fees applicable in the NCT of Delhi since 1958 while all kinds of duties and fees have been revised. The Computer Committee of the Hon'ble Delhi High Court has asked the Government of NCT of Delhi to start e-court fee in the Delhi High Court. Further, certain denominations viz. 40 paise, 25 paise, 50 paise, etc. are no more in use. Thus, revision of court fee has become necessary.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

New Delhi,
Dated:

(Dr. Ashok Kumar Walia)
Revenue Minister

FINANCIAL MEMORANDUM

At present, the annual revenue generated on account of court fees is about Rs. 40-50 crores. The revision is likely to increase it about 10 times to Rs. 500 crores.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The revision of court fees in the jurisdiction of National Capital Territory of Delhi does not seek to confer powers of Legislation on any subordinate functionaries.

सं. 21(09)/2012/एलएएस-IV/एलईजी/4154.—निम्नलिखित को जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारतीय मुद्रांक (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2012

[विधेयक संख्या (09) 2012]

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में

दिनांक 31 मई, 2012 को पुर:स्थापित किया गया)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रवृत्त भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 को लागू करने के लिये इसके पुनः संशोधन करने के लिये

एक
विधेयक

इसे भारतीय गणराज्य के बासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ	1.	(1) इस अधिनियम को भारतीय मुद्रांक (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जाए। (2) यह समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा। (3) यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा नियत तारीख से प्रभावी होगा।
अनुसूची 1क का संशोधन	2.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवृत्त भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 3) में अनुसूची 1क के भाग संख्या (10) के खंड (क) एवं (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

" किसी कंपनी के संस्था नियम

प्रलेख का वर्णन	पेपर स्टाम्प ड्यूटी
जब कंपनी की प्राधिकृत पूंजी एक लाख रुपये से अधिक नहीं होती है	प्राधिकृत शेयर पूंजी का 0.15 प्रतिशत
दूसरे मामलों में	पचीस लाख रुपये की अधिकतम मौद्रिक सीमा सहित प्राधिकृत शेयर पूंजी का 0.15प्रतिशत
जब प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ती है	पचीस लाख रुपये की अधिकतम मौद्रिक सीमा सहित प्राधिकृत शेयर पूंजी में हुई बढ़ोतरी का 0.15 प्रतिशत

(विजय कुमार देव)
प्रधान सचिव (राजस्व)

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रवृत्त भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 में इस समय किसी कंपनी के संस्था नियमों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवृत्त भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की प्रथम 'क' अनुसूची के नियम 10 तथा भारतीय मुद्रांक शुल्क (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2001 के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी के संबंध में स्टाम्प शुल्क के साथ प्रभार्य है।

प्राधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी की स्थिति में कंपनियों को प्रथम 'क' अनुसूची के नियम 10 (ख) के अनुसार स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होता है।

मैसर्स एसई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 2010 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 2393 दायर कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी होने की स्थिति में इस आधार पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रभार्यता संबंधी चुनौती दी कि उक्त अनुच्छेद नियम के अन्तर्गत कोई भी खंड नहीं है, जो प्राधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी होने पर स्टाम्प शुल्क लगाती है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसकी दलील स्वीकार करके मामले में आदेश पारित किया जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व को हानि हुई और स्पष्टता लाने के लिये अधिनियम में संशोधन होने तक अन्य कंपनियां भी इस आदेश का लाभ उठाती रहेगी और सरकार को अपने उचित राजस्व की हानि उठानी होगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन निम्न प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है:–

न्यायालय प्रतिवादी संख्या 4 संबंधी दिनांक 11 अगस्त, 2010 के निर्णय के अनुमोदन करने के लिये असमर्थ है। यह निदेश दिया गया है कि आरओसी अब याचिकाकर्ता के फार्म 5 स्वीकार करने के लिये कार्रवाई करेगी और उस पर स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान करने संबंधी याचिकाकर्ता पर दबाव डाले बिना बढ़ी हुई प्राधिकृत शेयर पूंजी को दर्ज करे। तथापि यह प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ोतरी के लिये उसके द्वारा पहले भुगतान की गई किसी प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी के लौटाने के लिये याचिकाकर्ता समर्थ नहीं बनाएगी। उक्त शर्तों के अधीन याचिका और लम्बित आवेदनों का निपटान किया गया है।

अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मूल अधिनियम की अनुसूची–1क के प्रवर्तन संबंधी इसका संशोधन करना प्रस्तावित है और इसके खंड (क और ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाए, अर्थात् :–

" किसी कंपनी के संस्था नियम

प्रलेख का वर्णन	पेपर स्टाम्प ड्यूटी
जब कंपनी की प्राधिकृत पूंजी एक लाख रुपये से अधिक नहीं होती है	प्राधिकृत शेयर पूंजी का 0.15 प्रतिशत
दूसरे मामलों में	पचीस लाख रुपये की अधिकतम मौद्रिक सीमा सहित प्राधिकृत शेयर पूंजी का 0.15प्रतिशत
जब प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ती है	पचीस लाख रुपये की अधिकतम मौद्रिक सीमा सहित प्राधिकृत शेयर पूंजी में हुई बढ़ोतरी का 0.15 प्रतिशत"

(डा. अशोक कुमार वालिया)
राजस्व मंत्री

वित्तीय ज्ञापन

भारतीय मुद्रांक (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2012 के लिये भारत का अनुमोदन अपेक्षित है। कंपनियों द्वारा प्राधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी होने पर पचीस लाख रुपये तक सरकार की अपनी विधिक स्टाम्प शुल्क राशि संग्रह करने में सरकार को मदद मिलेगी, जिसमें मैसर्ज एसई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बनाम दिल्ली सरकार के मामले में दिल्ली सरकार के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर सरकार को हानि होने की संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 2012 किन्ही अधीनस्थ पदाधिकारियों पर कानून बनाने की शक्तियां सौंपना नहीं चाहता है।

पी.एन. मिश्रा, सचिव

No. 21(09)/2012/LAS-IV/Leg./4154.—The following is published for general information .—

THE INDIAN STAMP (DELHI AMENDMENT) BILL, 2012
(BILL No. 09 of 2012)

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 31st May, 2012)

A

BILL

Further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the National Capital Territory of Delhi.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Indian Stamp (Delhi Amendment) Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi may, by notification in the Delhi Gazette, appoint.

2. Amendment of Schedule I-A.- In the Indian Stamp Act, 1899(2 of 1899) as in force in the National Capital Territory of Delhi, in Schedule I-A, in Article No. 10 for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

10. ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
"(a) When the Authorized capital of the Company does not exceed rupees on lakh;	0.15% of the Authorized share capital
(b) In other cases;	0.15% of the Authorized share capital with a monetary ceiling of rupees twenty five lakhs
(c) When the Authorized share capital is increased	0.15% of the increase in Authorized share capital with a monetary ceiling of rupees twenty five lakhs."

(Vijay Kumar Dev)
Pr. Secretary (Revenue)

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the Indian Stamp Act, 1899 as applicable in National Capital Territory of Delhi, presently, the Articles of Association of a company are chargeable with stamp duty in respect of authorized share capital of the company as per article 10 of Schedule 1-A of the Indian Stamp Act, 1899 and the Indian Stamp (Delhi Amendment) Act, 2001, applicable in National Capital Territory of Delhi.

In the case of increase in Authorized share capital, companies pay the stamp duty as per Article 10(b) of Schedule 1-A.

M/s S. E. Investment Ltd. by filing a WP (C) NO. 2393 OF 2010 in the High Court of Delhi challenges the chargeability of stamp duty in the case of increase/enhancement in authorized share capital of company on the ground that there is no clause under the above Article 10 which may impose stamp duty on the increase in authorized share capital. Hon'ble High Court of Delhi accepted his plea and passed orders in the matter, which resulted in Revenue loss to Government and unless the principal Act is amended in its application in NCT of Delhi to bring in clarity, other companies will also take benefit of this order and the State will lose its legitimate revenue. The operative part of the order of the Hon'ble High Court of Delhi is reproduced as under:-

"this Court is unable to approve of the decision dated 11th August 2010 of Respondent No. 4. It is directed that the ROC will now proceed to accept the Petitioner's Form 5 and record the increased authorized share capital without insisting on the Petitioner paying stamp duty thereon. This will however not enable the Petitioner to claim refund of any stamp duty paid earlier by it for increase in authorized share capital. The writ petition and the pending application are disposed of in the above terms."

Hence, it is proposed to amend the Schedule I-A of the Indian stamp Act, 1899 in its application to the National Capital Territory of Delhi and substitute clauses (a) and (b) thereof by the following clauses, namely: -

"10 Article of Association of a Company

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
(a) When the Authorized capital of the Company does not exceed rupees one lakh;	**0.15% of the Authorized share capital**
(b) In other cases;	**0.15% of the Authorized share capital with a monetary ceiling of rupees twenty five lakhs**
(c) When the Authorized share capital is increased	**0.15% of the increase in Authorized share capital with a monetary ceiling of rupees twenty five lakhs."**

(Dr.A.K.Walia)
Minister of Revenue

FINANCIAL MEMORANDUM

The Indian Stamp (Delhi Amendment) Bill, 2012 requires approval of Government of India. It will help the Government to collect its legitimate stamp duty amounting up to twenty five lakhs rupees on increase in authorized share capital by companies which the Government is likely to lose due to the decision of Hon'ble High Court of Delhi against the Delhi Government in the matter of M/s SE Investment Limited vs Government of Delhi.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Indian Stamp (Delhi Amendment) Bill, 2012 does not seek to confer powers of legislation on any subordinate functionaries.

P.N. MISHRA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.